

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	यूनिक आई0डी0
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	दिव्यांगजनों की यूनिक आई0डी0 मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से बनाये जाने का प्रावधान है।
4.	पात्रता की अर्हता–	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगजन
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	लिंक वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
6.	लिंक वेबसाईट	http://www.swavlambancard.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।